SUDANA

CATTLE FEED FACTORY, MANGLIA (INDORE)

UNIT OF INDORE SAHKARI DUGDH SANGH.MYDT
INDORE (M.P)

E-TENDER
FOR

Transportation of Cattle Feed Supplement

DATED: 04.05.2018

CATTLE FEED FACTORY, MANGLIA, DISTT.INDORE (M.P)
Phones : (0731) 2806221, 2806350
Fax no. 0731 - 2806221
E-mail :- sudana_manglia@rediffmail.com, sudana.manglia@gmail.com

INDORE SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT
UNIT CATTLE FEED FACTORY- MANGLIA
INDORE (M.P.)
Phones: (0731) 2806221, 2806350, Fax: 0731 - 2806221

निविदा प्रपत्र

निविदा कार्य :– पशु आहार संयंत्र पचामा जिला सिहोर से पशु आहार संयंत्र,मांगलिया जिला इन्दौर तक सुदाना पुरक आहार (मिनरल मिक्सचर) परिवहन की दो वर्ष (01.06.2018 से 31.05.2020 तक) हेतु ई– निविदा।

ई–निविदा क्रय की अतिंम तारीख	:	04.05.2018 दोपहर 12.30 बजे तक
ई–निविदा जमा करने की अतिंम तारीख एवं समय	:	04.05.2018 समय 2.00 बजे तक
ई–निविदा खोले जाने की तारीख एवं समय	:	04.05.2018 समय 3.00 बजे
ई–निविदा खोले जाने का स्थान	:	पशु आहार संयंत्र, मागंलिया, इन्दौर
पत्राचार हेतु पता	:	महाप्रबंधक पशु आहार संयंत्र, मागंलिया इन्दौर म.प्र. 453 771

ANNEXURE-1	:–	निविदा शर्त
ANNEXURE-II	:–	अनुबंध
ANNEXURE-III	:–	Price Bid

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

पशु आहार संयंत्र, मांगलिया जिलाः इन्दौर

पशु आहार संयंत्र, मांगलिया जिलाः इन्दौर में पशु आहार उत्पादन में लगने वाले सुदाना पुरक आहार (मिनरल मिक्सचर) पशु आहार संयंत्र पचामा जिला सिहोर से पशु आहार संयंत्र मांगलिया तक परिवहन की दो वर्ष (01.06.2018 से 31.05.2020 तक) हेतु आन लाईन ई–निविदा के माध्यम से दरें आमंत्रित की जाती है ।

क्रमांक	कार्य का नाम	अमानत राशि	कार्य की समय सीमा
1	पशु आहार संयंत्र पचामा जिला सिहोर से पशु आहार संयंत्र,मांगलिया जिला इन्दौर तक सुदाना पुरक आहार (मिनरल मिक्सचर) परिवहन	रु० 25000/–	(2)दो वर्ष
	कुल	**रु० 25000/–**	

निविदा फार्म मध्यप्रदेश शासन की वेबसाइट ***www.mpeproc.gov.in*** से निविदा फार्म दिनांक 04.05.2018 दोपहर 12.30 बजे तक डाउनलोड कर सकते हैं।

आन लाईन निविदा प्रपत्र दिनांक 04.05.2018 दोपहर 14.00 बजे तक जमा कर सकते है।

आन लाईन निविदा प्रपत्र दिनांक 04.05.2018 दोपहर 15.00 बजे खोली जावेंगी।

ANNEXURE-I

☙ निबन्धन एवं शर्ते ❧

(1) निविदा प्रपत्र पूर्ण कर निविदा के साथ अमानत राशि रू. 25,000/- (अक्षरी रू. पच्चीस हजार मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट जो कि " **INDORE SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT CATTLE FEED FACTORY** " के पक्ष में देय हो, दिनांक **04.05.2018** दोपहर 2.00 बजे तक आवश्यक रूप से इस कार्यालय मे जमा किया जाना अनिवार्य है। निश्चित समय के बाद प्राप्त निविदा एवं अमानत राशि के किसी भी निविदा पर विचार नही किया जावेगा। अमानत राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा, यदि निविदा स्वीकार नही की जाती है तो ऐसी स्थिति मे अमानत राशि निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत वापस कर दी जावेगी।

निविदा समिति द्वारा दिनांक 04.05.2018 को दोपहर 3.00 बजे समिति के समक्ष खोली जावेगी। निविदा खोलते समय निविदाकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेगें।

(2) निविदा स्वीकृत होने पर प्रतिभूति की राशि रू. 15,000/- (अक्षरी रू. पन्द्रह हजार मात्र) 03 दिवस मे जमा कराना होगी जो कि ठेका समाप्त होने पर पूर्ण वर्ष के कार्य की समीक्षा के पश्चात वापस की जावेगी, तथा इस पर कोई ब्याज देय नही होगा। निश्चित अवधि मे प्रतिभूति राशि जमा न करने पर अमानत राशि राजसात करते हुए उन स्थानों के लिये निविदा अन्य ठेकेदारों को दी जा सकेगी। निविदा के साथ जमा रु. 25,000/– निविदा स्वीकृत होने पर प्रतिभूति राशि में समायोजित कर ली जावेगी जो कुल रु. 40,000/– (अक्षरी रू. चालीस हजार मात्र) जिस पर कोई ब्याज देय नही होगा।

(3) निविदाकर्ता की दर स्वीकृत होने पर प्रथम की अमानत राशि को छोड कर शेष निविदाकर्ता की अमानत राशि 90 दिवस में वापिस कर दी जावेगी।

(4) परिवहनकर्ता को परिवहन की सभी शर्तें मान्य होगी।

(5) परिवहन दर अनुमोदन के पश्चात तुरन्त प्रभावशील मानी जावेगी। महाप्रबंधक आवश्यकतानुसार सुदाना पुरक आहार (मिनरल मिक्सचर) की मात्रा को घटाने या बढ़ाने हेतु पूर्णतः अधिकृत है।

(6) यह निविदा दो वर्ष की अवधि के लिये आमंत्रित की जा रही है। कार्य संतोषप्रद होने पर आपसी सहमति से एक-एक करके दो वर्ष के लिये कार्य अवधि प्रचलित दर पर ओर बढ़ाई जा सकेगी।

(7) परिवहनकर्ता को परिवहन करने के पश्चात परिवहन का बिल भुगतान हेतु कार्यालय में माल प्राप्ति की रसीद के साथ प्रस्तुत करना होगा।

(8) इनकम टेक्स , सर्विस टेक्स , GST व अन्य टेक्स की वसूली एंव सरकार द्वारा उस समय अन्य कोई टेक्स लगाने पर परिवहनकर्ता के देयक से कटौती की जावेगी।

(9) परिवहनकर्ता द्वारा सुदाना पुरक आहार (मिनरल मिक्सचर) पूर्ण मात्रा समयावधि में यदि परिवहन नहीं की जाती है तो संस्था द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था करने पर अधिक लगने वाली राशि की वसूली परिवहनकर्ता से की जावेगी तथा अमानत राशि जप्त कर ली जावेगी।

(10) परिवहनकर्ता द्वारा दर अनुमोदन के पश्चात ट्रक पशु आहार संयंत्र मांगलिया के निर्देशानुसार नहीं भेजे जाते है तो अनुबंध निरस्त कर अमानत राशि जप्त की जावेगी तथा अन्य परिवहनकर्ता से कार्य कराया जावेगा।

(11) अनुबंध अवधि में यदि डीजल की दरों में कमी या वृद्धि होती है, तो दर वृद्धि या कमी की गणना संयंत्र के नियमानुसार की जावेगी। एक लीटर खपत पर ४ किलो मीटर दर ओसत मान कर दी जावेगी। डीजल के अतिरिक्त स्पेयर्स पार्टस, आईल तथा टायर ट्यूब आदि की दरों में वृद्धि होने पर अनुबंधित दरों में वृद्धि नहीं की जावेगी।

(12) निविदाकर्ताओं को यह विदित हो कि वे निविदा दरे प्रस्तुत करते समय ध्यान रखें कि संयत्र द्वारा ट्रकों मे सुदाना पुरक आहार (मिनरल मिक्सचर) की मात्रा, प्रदेश, केन्द्र सरकार के नियमों के अन्तर्गत ही भरी जावेगी। अतिरिक्त मात्रा का लदान करने के लिये संयंत्र बाध्य नहीं होगा।

(13) प्रबंध को कोई भी अथवा सभी निविदा मान्य/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार रहेगा।

(14) निविदा को मान्य या अमान्य करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर को है।

(15) निविदाकर्ता की निविदा स्वीकृति हो जाने पर रू. 1000/– के नॉन–ज्युडिशियल स्टाम्प पर निम्नानुसार महाप्रबंधक, पशु आहार संयंत्र, मागंलिया के साथ कार्यादेश प्राप्ति से 08 दिवस मे एक अनुबंध निष्पादित करना होगा, जिसका प्रारूप संलग्न है।

(16) किसी प्रकार के विवाद की स्थिती में विवाद का निराकरण माध्यस्थम जो की 'अध्यक्ष' इन्दौर सह. दुग्ध संघ मर्या. इन्दौर रहेगें के माध्यम से किया जायेगा तथा अध्यक्ष'' इन्दौर सहकारी दुग्ध सघं.द्वारा पारित आदेश दोनो पक्षो पर बन्धनकारी रहेगा।

(17) विवादित स्थिती में न्यायालय का क्षेत्राधिकार इन्दौर रहेगा।

(18) वाहन के आर.टी.ओ., बीमा, क्लेम, सम्पूर्ण जवाबदारी निविदा कर्ता की रहेगी।

(19) निविदाकर्ता के या ट्रांसपोटर्र/ फर्म के नाम पर वाहन पंजीयन होना चाहिये।

◈◈◈

ANNEXURE-II

০৫০৫ अनुबंध ৯০৯০

यह अनुबंध **महाप्रबंधक, पशु आहार संयंत्र, मागंलिया (इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या. ,इन्दौर)** तथा मेसर्स ------------------------------ जिसे इसके उपरांत ''मिनरल मिक्सचर परिवहन ठेकेदार'' के नाम से सम्बोधित किया जावेगा, के मध्य पशु आहार संयंत्र, पचामा जिला सिहोर से पशु आहार संयंत्र, मागंलिया हेतु मिनरल मिक्सचर परिवहन हेतु किया जा रहा है।

(1) ठेके की अवधि दिनांक 01.06.2018 से 31.05.2020 तक की समयावधि हेतु होगी ।

(2) सामान्यतः परिवहन हेतु लगने वाली खाली वाहनों की मांग के विषय मे सूचना ठेकेदार को इस कार्यालय द्वारा दी जावेगी, परन्तु मूलतःसंयंत्र की आवश्यकता अनुसार परिवहन हेतु लगने वाले ट्रकों की मांग प्राप्त करना ठेकेदार का ही कर्तव्य होगा। ठेकेदार द्वारा वाहन उपलब्ध न कराने की दशा मे यदि अतिरिक्त वाहन द्वारा कार्य कराया जाता है तो ठेकेदार का यह दावा की उसे बिना सूचित किये अन्य वाहन द्वारा कार्य कराया गया है,मान्य नही होगा।

(3) परिवहन कार्य के लिये मांग प्राप्ति/सूचित करने से दो दिवस वाहन उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। वाहन उपलब्ध न कराने की स्थिति में संयंत्र द्वारा अपने स्तर पर वैकन्पिक व्यवस्था कर कार्य कराया जावेगा जिसमें होने वाले अधिक भुगतान की गई राशि ठेकेदार के देयक से वसूल की जावेगी तथा इस बावद सूचना पृथक से ठेकेदार को देने के लिये संयंत्र बाध्य नही होगा ।

(4) साधारणतः संयंत्र मे ट्रक खाली करने समय कार्य दिवस मे प्रातः 9.00 से सायंकाल 5.00 बजे तक रहता है, परन्तु सायं 4.00 बजे के बाद भरने के लिये आये खाली ट्रकों को भरवाना अथवा न भरवाना प्रबंध के अधिकार मे रहेगा।

(5) परिवहन ठेकेदार को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नही किया जावेगा ।

(6) परिवहन ठेकेदार को भुगतान हेतु प्रति सप्ताह अपना मुद्रित देयक दो प्रतियों मे जिसमे कमांक दिनांक पता आदि उल्लेखित हो माल प्राप्ति की वैध रसीद के साथ प्रस्तुत करना होगा ।

(7) परिवहन ठेकेदार को उनके देयकों का भुगतान मागंलिया स्थित कारखाने से रेखांकित धनादेश(चैक) द्वारा किया जावेगा ।

......./2/......

(8) नियमानुसार आयकर /GST आदि का कटोत्रा भाडा देयकों से काटा जावेगा।

(9) परिवहन करते समय मार्ग मे किसी प्रकार की टूट–फूट नुकसान, मिनरल मिक्सचर गीला होना,कमी आदि के लिये ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा तथा इससे संबंधित राशि उसके परिवहन देयक एवं अमानत राशि से वसूल की जावेगी।

(10) लोडिंग अनलोडिंग व्यय परिवहन ठेकेदार को वहन करना होाग।

(11) परिवहन ठेकेदार या उसके प्रतिनिधियों का व्यवहार संस्था के अधिकारियों/कर्मचारियों व हम्मालों के साथ सौहादपूर्ण होना चाहिये। यदि ट्रक ड्रायवर की असावधानी से संयंत्र की जान–माल, सम्पति आदि की कोई हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।

(12) परिवहन ठेकेदार के वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों के विरूद्ध सरकारी कानून अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी भी ठेकेदार की होगी व यदि इस बाबद कोई हानि होगी तो राशि ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

(13) उपरोक्त शर्तो के अलावा महाप्रबंधक,पशुआहार संयंत्र द्वारा समय समय पर जो परिवहन संबंधी सूचनाये/आदेश दिये जावेगे, उनका पालन हेतु ठेकेदार स्वयं बाध्य होगा।

(14) परिवहन ठेका दो वर्ष के लिये मान्य होगा परन्तु ठेके की अवधि मे कमी अथवा तीन माह की वृद्धि करना प्रबंध के अधिकार क्षेत्र मे होगा।

(15) स्वीकृत दरें अनुबंध समाप्ति तक मान्य रहेगी,लेकिन अनुबंध अवधि में यदि डीजल दरों में कमी/वृद्धि होती है तो ही अनुबंध दर में कमी/वृद्धि की जावेगी। दर में कमी वृद्धि की गणना पशु आहार संयंत्र,पचामा से पशु आहार संयंत्र,मांगलिया तक की दूरी एवं वाहन की औसत डीजल खपत 4 लीटर प्रति किलो मीटर के आधार पर कमी/वृद्धि दिनांक से की जावेगी। डीजल के अतिरिक्त स्पेयर पार्टस,आइल,ट्यूव टायर आदि की दरों में वृद्धि होने पर अनुबंधित दरों में वृद्धि नहीं की जावेगी।

(16) उभय उभय पक्षों मे काई विवाद उत्पन्न होने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सह. दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर का निर्णय अंतिम व दौनो पक्षों को मान्य होगा समस्त विवादों के प्रसंग मे न्यायिक क्षेत्र इन्दौर होगा ।

......./3/......

(17) अनुबंध की शर्तो मे परिस्थितिवश परिवर्तन या शिथिल करने का अधिकार प्रबंध को होगा ।

इस अनुबंध पर आज दिनांक................ को उभय पक्षो मे आपसी सहमति के आधार पर मागंलिया कार्यालय मे हस्ताक्षर किये है, निविदाकार का इकरार नामा दिनांक 01.06.2018 से 31.05.2020 तक की अवधि मे प्रभावशील रहेगा।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
( )	( )
	महाप्रबंधक
परिवहनकर्ता ठेकेदार	पशु आहार संयंत्र, मागंलिया

◈गवाह◈

(1) हस्ताक्षर		(2) हस्ताक्षर	
नाम	————————	नाम	————————
पिता	————————	पिता	————————
पता	————————	पता	————————
	————————		————————
	————————		————————

×××